

>

Title: Regarding Kendriya Vidyalaya, Ghazipur, Uttar Pradesh.

श्री राधे मोहन सिंह (गाज़ीपुर): महोदय, आपने मुझे लोक महत्व के विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपका ध्यान केंद्रीय विद्यालय गाजीपुर की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। केंद्रीय विद्यालय गाजीपुर अफिम फैक्ट्री की भूमि में स्थापित है। और आज तक वहाँ पर है। 1986 से अफिम फैक्ट्री के अंदर ही केन्द्रीय विद्यालय चल रहा है। चूंकि स्पांसर अफिम फैक्ट्री है, केन्द्रीय विद्यालयों के बारे में यह प्रचलन में है। जहां यह विद्यालय खुला है, उसका स्पांसर वहां अफिम फैक्ट्री है। अफिम फैक्ट्री राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है, उसकी तरफ से लगभग पांच से छः साल पूर्व एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा गया था और राजस्व विभाग की तरफ से मानव संसाधन मंत्रालय केन्द्रीय विद्यालय संगठन की ओर भेजा गया था। लेकिन इन पांच-छः सालों के अंदर सिर्फ पत्रावलियों पर टीका-टिप्पणी हो रही है, जो समझ से परे है। गाजीपुर पूर्वांचल का एक पिछड़ा हुआ इलाका है। यहां शिक्षा के नाम पर न कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है और न शिक्षा का कोई समुचित प्रबंध है। ऐसे जिले में जहां एक लम्बे समय से केन्द्रीय विद्यालय स्थापित है, जबकि कई जिलों में उसका अभाव है। लेकिन इतना अच्छा अवसर मिलने के बावजूद भी आज वहां 12वीं तक की शिक्षा मान्यता प्राप्त है, जबकि कक्षा वहां मात्र दस हैं। वहां पढ़ाई केवल दसवीं तक होती है, 12वीं तक पढ़ाई भी नहीं हो पाती है।

सभापति महोदय : आप चाहते हैं कि वह नये स्थान पर बने।

श्री राधे मोहन सिंह : सर, मैं उसी पर आ रहा हूँ। वहां हालत यह है चूंकि अफिम फैक्ट्री ने उसे जगह मुहैया कराया है, इसलिए उसकी मरम्मत भी नहीं हो पाती है, जिसके कारण वह बहुत जर्जर अवस्था में हैं और उसमें बहुत सीलन भी है। उसे देखकर लगता है कि उसमें पढ़ने वाले बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां आज की तारीख में 427 बच्चे ही पढ़ रहे हैं। यह प्रस्ताव अब तक स्वीकृत हो गया होता, हालांकि वहां जमीन अफिम फैक्ट्री के पास है, लेकिन पत्रावलियों में राजस्व विभाग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच की कार्य पद्धति पर दुख हो रहा है और मुझे इनकी कार्य पद्धति और संस्कृति समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार न तो उस जमीन की नौइयत बदलनी है और न जमीन की दिशा बदलनी है।

महोदय, इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि वित्त मंत्रालय ने एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2015 तक इस विद्यालय को बनाकर कम्प्लीट किया जाए, इसके लिए धन भी आवंटित हो चुका है। मैं पूछ रहा हूँ कि जब तक राजस्व विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय को जमीन ट्रंसफर नहीं करेगा, फिर 2015 तक इसका निर्माण कैसे हो सकता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस बारे में मैंने कई पत्र भी लिखे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी पत्र का मुझे उत्तर नहीं मिल पाया।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी यह आप ही के विभाग से संबंधित मामला है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : नहीं।

सभापति महोदय : शैलेन्द्र जी का भी तो केन्द्रीय विद्यालय का मामला था।

श्री पवन सिंह घाटोवार : मैं पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूँ।

वेद।(व्यवधान)

सभापति महोदय : तब तो आप सर्वव्यापी हो गये। You may please note down. It is very important.

श्री राधे मोहन सिंह : सभापति जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जबकि केन्द्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार बिल 2010 पारित किया है...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपकी बोली से समझ रहा हूँ कि यह बहुत गंभीर मामला है और आपकी व्यथा को भी मैं समझता हूँ। मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को इशारा किया है कि आप उसकी महत्ता को समझें।

श्री राधे मोहन सिंह : सभापति जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ, यह विषय कई बार यहां उठा है। वह विद्यालय बहुत जर्जर स्थिति में है, जबकि केन्द्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार बिल 2010 पारित किया है।

सभापति महोदय : श्री संजीव गणेश नाइक आप बोलिये।

श्री राधे मोहन सिंह : मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि यह मुद्दा मैंने यहां उठाया है कि यदि वहां सब कुछ ठीक है, फिर विलम्ब के कारण क्या हैं, विलम्ब के लिए दोषी कौन हैं और इस दोष के साथ-साथ उसे तत्काल शुरू कराने का कष्ट करे और माननीय मंत्री जी से जो आपने कहा है उसका आश्वासन चाहता हूँ, यही मेरी विनती है।

सभापति महोदय : मैंने स्वयं कह दिया है।